


4/ विविध 6-31/2015

601(4)
Dt. 11.06.2015निदेशालय स्वास्थ्य सेवायें बिहारआदेश

1. स्वास्थ्य विभाग/ निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना में सहायकों एवं अन्य तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संस्थानों से निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति स्थानापन्न रूप से तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग/ निदेशालय स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना में अधोहस्ताक्षरी के अधीन अगले आदेश तक के लिए की जाती है:-

1. श्री संजय कुमार, मलेरिया निरीक्षक, जिला मलेरिया कार्यालय, पटना।
2. श्री तरुण कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, सिम्हारी, धनरूआ, पटना।
3. श्री प्रदीप कुमार चौबे, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना।
4. श्री नितेश कुमार, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औराई, मुजफ्फरपुर।
5. श्री राकेश रंजन, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति० प्रा०स्वा० केन्द्र, मदरमा, पी०एच०सी० वैशाली, वैशाली।
6. श्री शशांक कुमार सिन्हा, पुरुष परिवार कल्याण कार्यकर्ता, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना।
7. श्री सुधीर चंद्रा, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, नौडिहॉ, सोनपुर, सारण।

8. श्री कैलाश प्रसाद ठाकुर, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति0प्रा0स्वा0केन्द्र, मंगलपुर, प0चंपारण।
 9. श्री अशोक कुमार, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति0प्रा0स्वा0केन्द्र, जमालपुर, दीघा, अथमलगोला, पटना।
 10. श्री शिवशंकर शर्मा, लिपिक, अति0प्रा0स्वा0केन्द्र, अजगढ़ा, पंडारक, पटना।
 11. श्री दिलीप कुमार, चतुर्थवर्गीय कर्मी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी।
 12. श्री कुंदन पाल, चतुर्थवर्गीय कर्मी, पी0एच0सी0 वारसौई, कटिहार।
 13. श्री संजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पी0एच0सी0 करपी, अरवल।
 14. श्री पवन कुमार, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पी0एच0सी0 रतनी फरीदपुर, जहानाबाद।
 15. श्री राजीव रंजन ठाकुर, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति0प्रा0स्वा0केन्द्र अभयपुर, सुरजगढ़ा, लखीसराय।
 16. श्री दिपक कुमार मिश्रा, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पी0एच0सी0 कुदरा, कैमूर।
 17. श्री शिव कुमार वर्मा, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पी0एच0सी0 नादरीगंज, नवादा।
2. उक्त आदेश में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त हैं।
 3. प्रतिनियुक्त कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान उनके मूल पदस्थापित संस्थान से निदेशालय, स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर की जायेगी।
 4. प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्ति भता देय नहीं होगा।


 (डा0 राजधारी रंजन)
 निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें
 बिहार पटना।

ज्ञापांक:- 4/विविध/6-31/2015 601(4) दिनांक:- 11.06.2015

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित/ निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही विरमित होकर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सिविल सर्जन/उपाधीक्षक/ प्राचार्य, क्षे0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है, कि सभी संबंधित कर्मियों को पत्र प्राप्ति के साथ ही 24 घंटे के अंदर विरमित करते हुए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष योगदान समर्पित करने का आदेश देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव स्वास्थ्य के वरीय आप्त सचिव/ अद्योहस्ताक्षरी के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। निदेशित है कि इस आदेश को अविलम्ब विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

1
निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें
बिहार पटना